समेकित पिलर III प्रकटन
Consolidated Pillar III Disclosures

डीएफ-1: प्रयोज्यता का क्षेत्र

DF-1: Scope of Application

(क) **समूह के शीर्ष बैंक का नाम जिस पर रूपरेखा लागू होती है :** आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (इसमें इसके बाद बैंक कहा जाएगा।) मूल कंपनी है, जिस पर बासेल II रूपरेखा लागू है.

(a) **The name of the top bank in the group to which the Framework applies:** IDBI Bank Ltd (hereinafter referred to as the Bank) is the parent company to which the Basel II Framework applies.

(ख) **लेखांकन व विनियामक प्रयोजन हेतु समेकन के आधार में होने वाले अंतर की रूपरेखा समूह की संस्थाओं का संक्षिप्त ब्योरा देते हुए प्रस्तुत की गई है.** समेकन का कार्य सभी संव्यवहारों व समान परिस्थितियों की विभिन्न गतिविधियों के लिए समान लेखांकन नीतियों के आधार पर किया गया है. सांविधिक / विनियामक आवश्यकताओं के कारण जहां व्यावहारिक नहीं है, वहां संबंधित कानून / विनियामक प्राधिकारी द्वारा आदेशित लेखांकन नीतियां अपनाई गई हैं.

(b) **An outline of differences in the basis of consolidation for accounting and regulatory purposes, with a brief description of the entities within the group.** The consolidation is done using uniform accounting policies for all transactions and other events in similar circumstances. Where it is not practical, due to statutory/ regulatory requirements, accounting policies as mandated by respective statues/ regulatory authorities are followed.

बैंक और इसकी सहायक संस्थाओं के समेकित वित्तीय विवरणपत्र भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनरूप हैं और जिसमें सांविधिक प्रावधानों, रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों और इकाई द्वारा जारी लेखांकन मानकों को शामिल किया गया है.

The consolidated financial statements of the Bank and its subsidiaries confirm with the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise statutory provisions, RBI guidelines and Accounting Standards issued by the ICAI.

(i) **पूर्णतः समेकित संस्थाएं / Entities that are fully consolidated:**

क्र.सं. **Sr.No.**	**सहायक संस्थाएं** **Subsidiaries**	**कारोबार क्षेत्र** **Line of Business**
1	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेस लिमिटेड IDBI Capital Market Services Ltd	कारोबार में स्टॉक ब्रोकिंग, वित्तीय योजनाओं का वितरण, मर्चेंट बैंकिंग, कॉरपोरेट सलाहकारी सेवाएं आदि शामिल हैं. Business includes stock broking, distribution of financial products, merchant banking, corporate advisory services etc.
2	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड IDBI Asset Management Limited	परिसंपत्तियों का प्रबंध करता है. Manages Assets.
3	आईडीबीआई एएमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड IDBI MF Trustee Company Limited	म्युच्युअल फंड कारोबार देखता है. Looks after Mutual Fund business

(ii) **समानुपातिक रूप से समेकित संस्थाएं : कोई नहीं.**

Entities that are pro-rata consolidated: Nil

(iii) **ऐसी संस्थाएं, जिन पर घटाव समायोजन लागू हैं:**

Entities that are given a deduction treatment:

क्र.सं. **Sr.No.**	**सहायक संस्थाएं** **Subsidiaries**	**कारोबार क्षेत्र** **Line of Business**
1	आईडीबाआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड IDBI Federal Life Insurance Company Ltd.	जीवन बीमा संबंधी कारोबार करता है. Carry out business in the area of life insurance.
2.	आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड IDBI Intech Ltd.	आईटी क्षेत्र की गतिविधियों में संलग्न. Undertakes activities in the IT sector.
3.	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड IDBI Trusteeship Services Ltd.	विभिन्न स्वरूप की व्यापक कॉरपोरेट ट्रस्टीशिप सेवाएं उपलब्ध कराती है. Provides a wide spectrum of corporate trusteeship services.

(iv) ऐसी संस्थाएं जो न तो समेकित हैं न उनमें घटाव है (अर्थात् जहां जोखिम भारित निवेश हों) : कोई नहीं

Entities that are neither consolidated nor deducted (e.g. where the investment is risk-weighted): Nil

(ग) सभी सहायक संस्थाओं में पूंजीगत कमियों की कुल राशि को समेकन में शामिल नहीं किया गया हो अर्थात् जिनमें घटाव समायोजन किया गया हो तथा उनके नाम : कोई नहीं.

(c) The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries not included in the consolidation i.e. that are deducted and the name(s) of such subsidiaries- Nil

(घ) बीमा संस्थाओं में बैंक के कुल हितों की सकल राशि (उदाहरण वर्तमान बही मूल्य), जो जोखिम भारित हों, साथ ही उनके नाम, उनके निगमन या निवास का देश, स्वामित्व हित का अनुपात और हित, यदि अलग हों और उन संस्थाओं में मताधिकार का अनुपात. इसके अलावा इस पद्धति बनाम कटौती या वैकल्पिक समूह-वार पद्धति को अपनाने पर विनियामक पूंजी पर प्रभाव - कुछ नहीं.

(d) The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk-weighted as well as their name, their country of incorporation or residence, the proportion of ownership interest and, if different, the proportion of voting power in these entities. In addition, the impact on regulatory capital of using this method versus using the deduction or alternate group-wide method- Nil

2. डीएफ 2: पूंजी संरचना

DF 2: Capital structure

क) सारांश

Summary

रिज़र्व बैंक के पूंजी पर्याप्तता मानदंडों के अनुसार पूंजीगत निधियां टीयर I व टीयर II में वर्गीकृत की गई हैं.

The capital adequacy norms of RBI classify capital funds into Tier I and Tier II capital.

टीयर I पूंजी में निम्न घटक शामिल हैं : चुकता इक्विटी पूंजी, सांविधिक रिज़र्व, अन्य प्रकटित निर्बंध रिज़र्व, पूंजी रिज़र्व तथा टीयर I में शामिल होने के पात्र नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत.

Elements of Tier I capital include; paid up equity capital, statutory reserves, other disclosed free reserves, Capital reserves and Innovative Perpetual Debt Instruments eligible for inclusion in Tier I capital.

टीयर I पूंजी में निम्न घटक शामिल हैं : पुनर्मूल्यन रिज़र्व, सामान्य प्रावधान एवं हानि रिज़र्व, मिश्रित ऋण पूंजी लिखत तथा गौण ऋण.

Elements of Tier II capital include; Revaluation reserves, general provisions and loss reserves, hybrid debt capital instruments and subordinated debt.

टीयर I बांड :31 मार्च 2011 के अनुसार बैंक की टीयर I पूंजी में निम्नलिखित शामिल हैं :

Tier I Bonds: As on March 31, 2011 the Bank's Tier I capital includes;

(i) एनआईसी (एलटीओ) फंड एवं आईबीआरडी ऋण व्यवस्था के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के प्रति बैंक की देयताओं के संपरिवर्तन पर मार्च 2002 में भारत सरकार द्वारा अभिदान किये गये ₹ 2,130.50 करोड़ के टीयर I बांड. भारत सरकार द्वारा अभिदान किये गये उक्त टीयर I बांड की अवधि 20 वर्ष है, जिसके साथ इसे इक्विटी के रूप में संपरिवर्तित करने का अथवा बैंक के अनुरोध पर 20 वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ाने का विकल्प भी है. इसके अलावा जिस वर्ष बैंक घाटे में होगा, उस वर्ष के लिए इन बांडों पर देय ब्याज को माफ करने के संबंध में भारत सरकार सकारात्मक रूप से विचार करेगी. रिज़र्व बैंक ने इन बांडों को बैंक की टीयर I पूंजी के रूप में सम्मिलित किए जाने के लिए पात्र माना है: तथा

Tier I bonds of ₹ 2,130.50 crore subscribed by the Government of India (GoI) in March 2002, on conversion of liability of the Bank towards RBI under NIC (LTO) fund & IBRD Lines of Credit. Tier I bonds subscribed by the GoI have a tenor of 20 years with an option for conversion into equity or for rolling it over for a further period of another 20 years, at the request of the Bank. Further, GoI would favourably consider foregoing the interest due on these bonds in the years in which the Bank incurs loss. RBI has made these bonds eligible for qualifying as Tier-I Capital of the Bank; and,

(ii) ऐसे लिखतों को जारी करने के लिए रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में कतिपय किस्तों व तारीखों में ₹ 1,708.80 करोड़ के नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत (आईपीडीआई) जुटाये गये.

Innovative Perpetual Debt Instrument (IPDI) of ₹ 1,708.80 crore raised in various tranches and dates in compliance with RBI guidelines for issue of such instruments.

आईपीडीआई लिखत बेमीयादी स्वरूप के होते हैं, जिनमें रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से 10 वर्ष के बाद कॉल ऑप्शन उपलब्ध होता है. बैंक का सीआरएआर सांविधिक आवश्यकताओं से कम होने पर इन बांडों पर ब्याज देय नहीं होता. इसके अलावा इन बांडों पर ब्याज संचयी नहीं होता. रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देश के अनुसार इन बांडों पर स्टेप-अप विकल्प के साथ अधिकतम 100 आधार बिंदु वाले कूपन जारी किये जा सकते हैं और इस व्यवस्था का कॉल ऑप्शन के साथ केवल एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है. तथापि रिज़र्व बैंक ने 20 जनवरी 2011 के अपने परिपत्र द्वारा इस प्रकार के स्टेप-अप विकल्प को नामंजूर कर दिया है.

IPDI instruments are perpetual in nature, having a call option after 10 years exercisable with the prior approval of RBI. Interest on these bonds is not payable if the Bank's CRAR is below the regulatory requirement and the unpaid interest is not cumulative. As per the then RBI guidelines, coupon on these bonds could carry a step-up option up to a maximum of 100 bps, which could be exercised only once, in conjunction with the call option. However, RBI vide its Circular dated January 20, 2011, has since disallowed such step-up option.

अपर टीयर II बांड: ऐसे लिखतों को जारी करने के लिए रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में कतिपय किस्तों व तारीख़ों में बैंक ने 15 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाले (रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से 10 वर्ष के बाद कॉल ऑप्शन) ₹ 4,286.20 करोड़ के अप्रतिभूत प्रतिदेय अपर टीयर II बांड किस्तों में जुटाये थे. उक्त बांड टीयर II पूंजी के रूप में माने जाने के प्रयोजन से अवशिष्ट परिपक्वता के अंतिम 5 वर्ष के दौरान प्रगामी भुनाई के अधीन होंगे. रिजर्व बैंक के तत्कालीन दिशा-निर्देश के अनुसार इन बांडों के कूपन पर अधिकतम 100 आधार बिंदु तक का स्टेप-अप विकल्प होगा जो कॉल ऑप्शन के साथ केवल एक ही बार प्रयोग किया जा सकेगा. बैंक का सीआरएआर सांविधिक आवश्यकताओं सें कम होने पर इन बांडों पर ब्याज देय नहीं होता. ये बांड रिज़र्व बैंक के पूर्व-अनुमोदन पर ही प्रतिदेय हैं. तथापि रिज़र्व बैंक ने 20 जनवरी 2011 के अपने परिपत्र द्वारा इस प्रकार के स्टेप-अप विकल्प को नामंजूर कर दिया है.

Upper Tier II Bonds: Unsecured, redeemable Upper Tier II bonds of ₹ 4,286.20 crore with a maturity of 15 years (call option after 10 years exercisable with the prior approval of RBI) were raised by the Bank in various tranches and dates in adherence to norms prescribed by RBI in this regard. These bonds are subject to progressive discounting during the last 5 years of residual maturity, for the purpose of treatment as Tier II capital. According to the then RBI guidelines, coupon on these bonds could carry a step-up option up to a maximum of 100 bps, which could be exercised only once, in conjunction with the call option. However, RBI vide its Circular dated January 20, 2011, has since disallowed such step-up option.

यदि बैंक की सीआरएआर विनियामक अपेक्षाओं से कम होती है तो इन बाँडों पर ब्याज देय नहीं होता. तथापि बाद के वर्षों में उपर्युक्त विनियामक अनुपालन होने पर उक्त अदत्त ब्याज अदा कर दिया जाता है.

Interest on these bonds is not payable if the bank's CRAR is below the regulatory requirement. The unpaid interest may, however, be paid in later years subject to the aforesaid regulatory compliance.

गौण (निम्न) टीयर II बांड : 5 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाले अप्रतिभूत, प्रतिदेय, गौण (निम्न) टीयर II बांड विभिन्न किस्तों और तारीख़ों में जुटाए गए हैं. 31 मार्च 2011 को ऐसे बांडों की कुल बकाया राशि ₹ 6,836.68 करोड़ (₹ 5438.81 के बट्टाकृत मूल्य के साथ) थी. इन लिखतों के संबंध में कम से कम 5 वर्ष तक प्रचलन के बाद रिज़र्व बैंक के पूर्व-अनुमोदन पर कॉल ऑप्शन का उपयोग, यदि कोई हो, किया जा सकता है. उक्त बांड भी टीयर II पूंजी के रूप में माने जाने के प्रयोजन से अवशिष्ट परिपक्वता के अंतिम 5 वर्ष के दौरान प्रगामी भुनाई के अधीन होंगे, रिज़र्व बैंक के तत्कालीन दिशा-निर्देश के अनुसार इन बांडों के कूपन पर अधिकतम 50 आधार बिंदु तक का स्टेप-अप विकल्प होगा जो कॉल ऑप्शन के साथ केवल एक ही बार प्रयोग किया जा सकेगा. तथापि रिज़र्व बैंक ने 20 जनवरी 2011 के अपने परिपत्र द्वारा इस प्रकार के स्टेप-अप विकल्प को नामंजूर कर दिया है.

Subordinated (lower) Tier II Bonds: Unsecured, Redeemable, Subordinated (lower) Tier II Bonds with a minimum maturity of 5 years have been raised in various tranches and dates. Outstanding balance of such bonds aggregated ₹6,836.68 crore (Discounted value of ₹ 5438.81 crore) as on March 31, 2011. Call option, if any, may be exercised for these bonds only with the prior approval of RBI, after the instrument has run for at least 5 years. These bonds are also subject to progressive discounting during the last 5 years of residual maturity, for the purpose of treatment as Tier II capital. As per the then RBI guidelines, coupon on these bonds could carry a step-up option up to a maximum of 50 bps, which could be exercised only once, in conjunction with the call option. However, RBI vide its Circular dated January 20. 2011 has since disallowed such step-up option.

बैंक की टीयर I और टीयर II पूंजी के रूप में शामिल होने वाले लिखत धारकों की पहल पर या रिज़र्व बैंक की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं होंगे.

Instruments eligible for inclusion as Tier I & Tier II capital of the Bank are not redeemable at the initiative of the holders or without the consent of RBI.

ख) टीयर I व टीयर II पूंजी के रूप में गणना किए जाने वाले लिखतों की प्रमुख विशेषताएं
b) Main features of the instruments being reckoned as Tier I and Tier II capital

विवरण Particulars	जारी करने की तारीख Date of Issue	31.3.2011 को बकाया राशि (₹ करोड़) Amount Outstanding as on 31.3.2011 (₹ Crore)	औसत अवधि (वर्षों में) Average Tenor (years)	भारित औसत कूपन (% वार्षिक) Weighted average Coupon (% p.a.)	वर्तमान रेटिंग Present Rating
परिवर्तनीय टीयर I बांड (भारत सरकार द्वारा अभिदत्त) Convertible Tier I Bonds (subscribed by GoI)	30.03.2002 31.03.2002	1,157.02 973.48	20 20	8.00 11.88	
		2,130.50	20	9.77	
नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत Innovative Perpetual Debt Instruments	विभिन्न तारीखों को On various dates	1,708.80	बेमायादी (10 वर्ष के बाद कॉल ऑप्शन) Perpetual (Call option after 10 years)	9.40 #	क्रिसिल द्वारा 'एए/स्टेबल' इक्रा द्वारा 'एलएए' (स्थिर संभावना के साथ) 'AA/Stable' by CRISIL 'LAA' by ICRA (with stable outlook)
अपर टीयर II बांड Upper Tier II Bonds	विभिन्न तारीखों को On various dates	4,286.20	15 (10 वर्ष के बाद कॉल ऑप्शन) 15 (Call option after 10 years)	9.69 #	क्रिसिल द्वारा 'एए/स्टेबल' इक्रा द्वारा 'एलएए' (स्थिर संभावना के साथ) 'AA/Stable' by CRISIL 'LAA' by ICRA (with stable outlook)
गौण (निम्न) टीयर II बांड Subordinated (lower) Tier II Bonds	विभिन्न तारीखों को On various dates	6836.68*	9.68	9.06 @	क्रिसिल द्वारा 'एए/स्टेबल' इक्रा द्वारा 'एलएए' (स्थिर संभावना के साथ) 'AA+/Stable' by CRISIL'LAA+' by ICRA (with stable outlook)

कॉल ऑप्शन के संयोजन के साथ अधिकांश बॉंड श्रृंखलाओं में 50 आधार बिंदु का स्टेप-अप
With step up of 50 bps in most of the bond series, in conjunction with the call option
@ प्रयोज्य मामलों में कॉल ऑप्शन के प्रयोग के साथ 25 आधार बिंदु का सेट-अप
@With step up of 25 bps, in conjunction with the call option, in applicable cases
* ₹ 5438.81 करोड़ का बट्टाकृत मूल्य
* Discounted value of ₹ 5438.81 crore

ग) पूंजी संरचना
c) Composition of capital

यथा मार्च 2011 / As on March 2011	(₹ करोड़) (₹ Crore)
टीयर I पूंजी की राशि / Amount of Tier I Capital	
टीयर I पूंजी / Tier I Capital	
प्रदत्त शेयर पूंजी / Paid up share capital	984.57
रिज़र्व / Reserves	11801.64
नवोन्मेषी लिखत / Innovative instruments	1708.80
अन्य पूंजी लिखत (टीयर I बांड) / Other capital instruments (Tier I Bonds)	2130.50
सकल टीयर I पूंजी / Gross Tier I Capital	**16625.50**

यथा मार्च 2011 / As on March 2011	**(₹ करोड़) (₹ Crore)**
कटौतियां / **Deductions:**	
सहायक संस्थाओं में निवेश / Investments in subsidiaries	174.76
अमूर्त परिसंपत्तियां / Intangible assets	89.52
आस्थगित कर परिसंपत्तियां / Deferred Tax asset	442.91
अन्य / Others	21.49
निवल टीयर I पूंजी (क) / Net Tier I Capital (a)	**15896.81**
टीयर II पूंजी की राशि / Amount of Tier II Capital	
टीयर II पूंजी / Tier II Capital	
पुनर्मूल्यांकन रिज़र्व / Revaluation reserve	853.10
अपर टीयर II निवेश / Upper Tier II investments	4286.20
लोअर टीयर II निवेश / Lower Tier II investments	5438.81
सामान्य प्रावधान / General Provisions	660.36
सकल टीयर II पूंजी / Gross Tier II Capital	**11238.47**
कटौतियां / Deductions:	
सहायक / सहयोगी वित्तीय संस्थाओं की प्रदत्त इक्विटी में निवेश	
Investments in paid-up equity of financial subsidiaries / associates	174.76
अन्य कटौतियां / Other deductions	21.49
निवल टीयर II पूंजी (ख) / Net Tier II Capital (b)	11042.21
कुल पात्र पूंजी (क + ख) / Total Eligible capital (a+b)	**26939.02**
वर्ष 2010-11 के दौरान जुटायी गई पूंजी / Capital raised during the year 2010-11:	
टीयर I / Tier I	245.10
अपर टीयर II / Upper Tier II	1000.00
लोअर टीयर II / Lower Tier II	1198.10
कुल / Total	**2443.20**

डीएफ-3: पूंजी पर्याप्तता
DF-3: Capital Adequacy:

बैंक ऋण निवेश के मूल्य में हानि जोखिम के प्रति सुरक्षा प्रदान करने तथा जमाकर्ताओं और सामान्य ऋणदाताओं को हानियों से बचाने के लिए पूंजी रखता है. बैंक अपनी पूंजी आवश्यकता और पूंजी की भावी ज़रूरत को कारोबार रणनीति के तहत अपनी वार्षिक कारोबार योजना में रखता है. बैंक की पूंजी आवश्यकताओं की गणना करने में तुलन पत्र विन्यास, पोर्टफोलियो मिश्र तथा प्रासंगिक भुनाई जैसे विस्तृत मानदंडों पर भी विचार करता है. इसके अलावा ब्याज दर और नकदी स्थिति के संबंध में बाजार के व्यवहार पर भी विचार किया जाता है. साथ ही पूर्वानुमानों में सुस्पष्टता दर्शाने के लिए ऋण विन्यास और रेटिंग मैट्रिक्स का भी उपादान किया जाता है.

Capital is maintained by the Bank as a cushion against risk of loss in the value of exposures and to protect the depositors and general creditors against probable losses. The Bank projects its capital requirement and its future need for capital as a part of its annual business plan, in accordance with the business strategy of the Bank. In calculating the capital requirements of the Bank, broad parameters viz. balance sheet composition, portfolio mix and relevant discounting are considered. In addition, views regarding market behaviour with regard to interest rate and liquidity positions are also taken into account. Further, the loan composition and rating matrix is factored in to reflect precision in projections.

बैंक ने वर्तमान व भावी जोखिमों को निर्धारित करने व उनके बारे में पूर्वानुमान लगाने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता और आकलन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति तैयार की है. इस नीति के अंतर्गत बैंक द्वारा अनुभूत की जानेवाली कई भावी व वास्तविक जोखिमों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया, वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव तथा जोखिम के नियंत्रण व पूंजी को पर्याप्त मात्रा में बनाए रखने हेतु रणनीति बताई गई है. दस्तावेज से बैंक

को पूंजी की पर्याप्तता का आकलन करने और वर्तमान तथा भावी जोखिम की गणना करने तथा ऐसे जोखिम से निपटने के लिए उपयुक्त रणनीति तैयार करने में सहायता मिलती है.

To quantify and project current and future risks, the Bank has a Board approved Internal Capital Adequacy and Assessment Process (ICAAP) policy. The policy covers the process for addressing various potential and actual risks faced by the Bank, measuring their impact on the financial position and formulating appropriate strategies for risk containment and maintaining adequate levels of capital.

बैंक ने रिज़र्व बैंक के बासेल II संबंधी दिशा निर्देशों के पिलर I के अंतर्गत पूंजी पर्याप्तता का आकलन करने के लिए ऋण जोखिम हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण, परिचालन जोखिम हेतु मूल संकेतक दृष्टिकोण तथा बाज़ार हेतु मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण अपनाया है. बैंक को जोखिम भारित परिसंपत्ति की तुलना में कुल पूंजी का अनुपात (सीआरएआर) न्यूनतम 9 % (समेकित आधार पर) रखना अपेक्षित है, जिसमें से टीयर I पूंजी का अनुपात 6 % होना चाहिए. बैंक की सीआरएआर रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीआरएआर से अधिक अनुमानित की गई है. 31 मार्च 2011 को बैंक की सीआरएआर 13.64% थी तथा टीयर I अनुपात 8.03% था. 31 मार्च 2011 को समूह (समेकित) की सीआरएआर 13.78% थी तथा समूह के लिए टीयर I अनुपात 8.13% था. 31 मार्च 2011 को विभिन्न प्रकार के जोखिमों के लिए न्यूनतम 9 % की पूंजी आवश्यकताओं और बैंक की सीआरएआर की समेकित स्थिति निम्नानुसार है :

The Bank has adopted the standardised approach for Credit Risk, the basic indicator approach for Operational Risk and the standardised duration approach for Market Risk for calculating the Bank's capital adequacy under Pillar I of RBI guidelines on Basel II. The Bank is required to maintain a minimum Total Capital to Risk weighted assets (CRAR) ratio of 9% (on consolidated basis) comprising a minimum Tier I capital ratio of 6%. CRAR of the Bank is well above the minimum capital as stipulated by RBI. At a standalone level, the CRAR of the Bank as at March 31, 2011 is 13.64% and the Tier I ratio is 8.03%. The total CRAR of the Group (consolidated) at March 31, 2011, 13.78% and the Tier I for the group is 8.13%. The position of the Minimum Capital required (at 9%) for different types of risks and the CRAR of the Bank on a consolidated basis as on March 31, 2011 is as follows:

(₹ करोड़)(₹ Crore)

(क) ऋण जोखिम पूंजी : **(a) Credit risk Capital:**	
मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो / Portfolios subject to standardised approach	15916.29
प्रतिभूतिकरण / Securitisation	1.01
(ख) बाजार जोखिम पूंजी **(b) Market risk Capital:**	
मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण / Standardised duration approach	
ब्याज दर जोखिम / Interest Rate Risk	414.75
विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित) / Foreign exchange Risk (including Gold)	751.05
इक्विटी जोखिम / Equity Risk	31.50
(ग) परिचालन जोखिम पूंजी **(c) Operational risk Capital:**	
मूल संकेतक दृष्टिकोण / Basic indicator approach	478.78
कुल अपेक्षित न्यूनतम पूंजी / Total Minimum Capital required	17593.38
कुल एवं टीयर I पूंजी का अनुपात / Total and Tier 1 capital ratio:	
टीयर I (%) / Tier I (%)	8.13%
कुल (%) / Total (%)	13.78%

डीएफ 4 : ऋण जोखिम-सामान्य प्रकटन

DF 4: Credit Risk - General Disclosures

ऋण जोखिम एक प्रकार का हानि जोखिम है जो प्रतिपक्षी द्वारा वित्तीय संविदा के अंतर्गत देयताओं को पूरा न करने और शर्तों का पालन न कर पाने के कारण उत्पन्न होता है. इस तरह की किसी भूल-चूक का बैंक के वित्तीय कार्य-निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. बैंक में ऋण जोखिम उसके उधार और निवेश परिचालनों के जरिए उत्पन्न होता है. बैंक के समक्ष आने वाले ऋण जोखिमों के प्रभाव का सामना करने के लिए एक सुदृढ़ जोखिम प्रबंध ढाँचा बनाया गया है.

Credit risk is the risk of loss that may occur from failure of the counterparty to meet its obligations and to abide by the terms of the financial contract. Any such failure has an adverse effect on the financial performance of the Bank. The Bank faces credit risk through its lending and investment operations. To counter the effect of the credit risks faced by the Bank, a robust risk management framework has been set up.

क) बैंक की ऋण जोखिम प्रबंध नीति

a) Bank's Credit risk management policy

बैंक के पास एक कॉरपोरेट ऋण नीति है जो ऋण सहायता के परिमापन, निगरानी और नियंत्रण द्वारा एक उच्च गुणवत्तापूर्ण ऋण पोर्टफोलियो बनाने तथा उसे बनाए रखने के उद्देश्य के साथ संचालित है. यह नीति स्वीकार्य जोखिम समायोजित प्रतिफल के साथ अधिक सूक्ष्म कारकों जैसे कंपनियों, कारोबार समूह उद्योगों, भौगोलिक क्षेत्रों तथा ऋण उत्पादों में पोर्टफोलियो के विशाखन पर भी ध्यान देती है. मौजूदा कारोबार परिदृश्य तथा विनियामक शर्तों के आलोक में यह नीति कॉरपोरेट ग्राहकों को उधार देने के प्रति बैंक का दृष्टिकोण प्रदर्शित करती है. कॉरपोरेट रणनीति की बोर्ड द्वारा हर वर्ष समीक्षा की जाती है और उसे अनुमोदित किया जाता है.

The Bank has a Corporate Credit Policy which is guided by the objective to build, sustain and maintain a high quality credit portfolio by measurement, monitoring and control of the credit exposures. The policy also addresses more granular factors such as diversification of the portfolio across companies, business groups, industries, geographies and credit products with an acceptable risk-adjusted yield. The policy reflects the Bank's approach towards lending to corporate clients in the light of prevailing business environment and regulatory stipulations. The Corporate Credit policy is reviewed annually and approved by the Board of Directors.

ऋण जोखिम का आकलन करने के लिए और ऋण जोखिम के संकेंद्रण से बचने के लिए, बैंक ने एकल उधारकर्ता, समूह कंपनियों के संबंध में ऋण सहायता मानदंड, संवेदनशील क्षेत्रों को ऋण उद्योग को ऋण, सहायता और अप्रतिभूत ऋण सहायता के बारे में आंतरिक दिशानिर्देश लागू किये हैं. नये कारोबार प्राप्त करने के लिए और नये ग्राहकों की प्रारंभिक जांच के लिए भी मानदंड निर्दिष्ट किये गये हैं. बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, वाणिज्यिक रियल एस्टेट, पूंजी बाजार तथा बुनियादी क्षेत्र सहित किसी भी उद्योग को ऋण देने के संबंध में रिजर्व बैंक, सेबी तथा अन्य विनियामक निकायों द्वारा विशिष्ट रूप से जारी किये गये निदेशों का पालन करता है. इसके अलावा, विवेकपूर्ण विचारों के आधार पर कुछ विशिष्ट खंडों के लिए आंतरिक सीमाएं भी निर्धारित की गयी हैं.

To measure credit risk and to avoid concentration of credit risk, the Bank has in place internal guidelines on exposure norms in respect of single borrower, group companies, exposure to sensitive sector, industry exposure and unsecured exposures. Norms have also been detailed for soliciting new business as well as for preliminary scrutiny of new clients. The Bank abides by the directives specifically issued by RBI, SEBI and other regulatory bodies in respect of lending to any industry including NBFCs, Commercial Real Estate, Capital markets, and Infrastructure. In addition, internal limits have been prescribed for certain specific segments based on prudential considerations.

बैंक परिसंपत्ति पोर्टफोलियो की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जोखिम रेटिंग का एक प्रमुख साधन के रूप में इस्तेमाल करता है. शीर्ष स्तर पर रेटिंग समितियां आंतरिक ऋण रेटिंग को वैधीकृत करती हैं. ऋण मूल्यांकन तथा ऋण निगरानी प्रक्रिया की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए ऋण समीक्षा व्यवस्था (एलआरएम) का भी एक प्रभावी साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है.

The Bank utilizes credit risk rating as one of the key tools to assist in maintaining quality asset portfolio. The Rating committees at the apex level validate the internal credit ratings. The Loan Review Mechanism (LRM) is also used as an effective tool to evaluate the effectiveness of credit evaluation and credit monitoring process.

कॉरपोरेट ऋण नीति के अलावा, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बैंक अग्रिम एक अलग एमएसई नीति द्वारा संचालित होते हैं. बैंक के पास देशी तथा अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में ऋण-निवेश से संबंधित प्रतिपक्षी जोखिम पर एक विशिष्ट नीति और विभिन्न देशों में ऋण-निवेश से संबंधित देश जोखिम प्रबंधन पर एक विशिष्ट नीति है.

Apart from Corporate Credit Policy, Bank's advances to Micro & Small enterprises are guided by a separate MSE policy. The Bank has a specific policy on Counter Party Risk pertaining to exposure on domestic & international banks and a specific policy on Country Risk Management pertaining to exposure on various countries.

बैंक के पास एक खुदरा ऋण नीति है जिसमें बैंक की खुदरा परिसंपत्तियों को बढ़ाने तथा उन्हें बनाये रखने के लिए मानक, प्रक्रियाएं तथा पद्धतियां निर्दिष्ट की गयी हैं. यह नीति विभिन्न खुदरा उत्पादों के लिए वैयक्तिक उत्पाद प्रोग्राम दिशानिर्देशों के प्रतिपादन को भी संचालित करती है. इस नीति की उस परिवेश (विनियामक एवं बाजार) की गतिकी की प्रत्याशा में या के प्रत्युत्तर में समीक्षा की जाती है जिसमें बैंक परिचालन करता है या रणनीतिक दिशा में परिवर्तन करता है या जोखिम सहनशीलता आदि में परिवर्तन करता है.

The Bank has a Retail Credit Policy which, details the standards, processes and systems for growing and maintaining the Retail Assets of the Bank. The policy also guides the formulation of Individual Product Program Guidelines for various retail products. The policy is reviewed either in anticipation of or in response to the dynamics of the environment (regulatory and market) in which the Bank operates or change in strategic direction or change in risk tolerance, etc.

ख) अनर्जक परिसंपत्तियों की परिभाषाएं

b) Definitions of non performing assets

रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक अपने अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक और अनर्जक परिसंपत्तियों के रूप में करता है. इन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ अनर्जक परिसंपत्ति (एनपीए) को ऐसे ऋण या अग्रिम के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां :

The Bank classifies its advances into performing and non-performing advances in accordance with extant RBI guidelines. The guidelines inter-alia, define a non performing asset (NPA) as a loan or an advance where;

- मीयादी ऋण में ब्याज और / अथवा मूलधन की किस्तें 90 से अधिक दिन से अतिदेय हों.

  interest and/ or installment of principal remains overdue for more than 90 days for a term loan,

- खाते में लगातार 90 से अधिक दिन तक ओवरड्राफ्ट / कैश क्रेडिट चलते रहने पर खाता 'अनियमित' माना जाता है. यदि खाते में बकाया राशि मंजूर सीमा / आहरण अधिकार से लगातार अधिक रहती हों, तो उसे भी 'अनियमित' माना जाता है. जिन मामलों में मुख्य परिचालन खाते में बकाया राशि मंजूर सीमा / आहरण अधिकार से कम है, किंतु उनमें यथा तुलन पत्र की तारीख तक लगातार 90 से अधिक दिन तक कोई राशि जमा नहीं होती है या जो जमाराशियां इस अवधि के दौरान नामे किए गए ब्याज के लिए पर्याप्त नहीं हैं, ऐसे खातों को भी 'अनियमित' माना जाता है.

  the account remains 'out of order' in respect of overdraft / cash credit continuously for 90 days. An account would be treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as 'out of order'.

- बैंक द्वारा क्रय किए गए या बट्टाकृत बिल को 90 दिन बाद 'अतिदेय' माना जाता है.

  A bill purchased or discounted by the Bank remains 'overdue' for more than 90 days.

- कृषि ऋण के संबंध में अल्पावधि फसलों के मामले में ब्याज तथा / अथवा मूलधन की किस्तों की अदायगी दो फसल मौसम से अतिदेय होने और दीर्घावधि फसलों में एक फसल मौसम से अतिदेय होने पर.

  In respect of an agricultural loan, the interest and / or installment of principal remains overdue for two crop seasons for short duration crops and for one crop season for long duration crops.

इसके अलावा रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए को अवमानक, संदिग्ध एवं हानि परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

Further, NPAs are classified in to substandard, doubtful and loss assets based on the criteria stipulated by RBI.

प्रतिभूतियों में निवेश के संबंध में, जहां ब्याज / मूलधन बकाया है, बैंक ऐसी प्रतिभूतियों पर आय को गणना में शामिल नहीं करता है तथा निवेश के मूल्य में कमी के लिए उचित प्रावधान करता है.

In respect of investments in securities, where interest / principal is in arrears, the Bank does not reckon income on such securities and makes appropriate provisions for the depreciation in the value of investments.

ग) 31 मार्च 2011 के अनुसार ऋण सहायता

c) Credit Exposures as on March 31, 2011

i. ऋण जोखिम न्यूनीकरण कारकों के लिए लाभ पर विचार किए बिना कुल ऋण सहायता:

Total credit exposures without taking into account benefit for credit risk mitigants:

(₹ करोड़) (₹ Crore)

श्रेणी Category	बकाया राशि Amount Outstanding	
	देशी Domestic	विदेशी Overseas
निधि आधारित* / Fund Based*	155294.05	1840.41
गैर-निधि आधारित #/ Non Fund Based#	76015.26	908.58

* अग्रिमों से संबंधित
* refers to advances
एलसी, बीजी, एलईआर और स्वीकृतियों सहित
includes LC, BG, LER and acceptances

ii. सर्वाधिक सहायता प्राप्त 20 उद्योग

Top 20 Industry wise exposure

(₹ करोड़) (₹ Crore)

क्रम सं. Sr. No.	उद्योग Industry	निधि आधारित Fund based	गैर-निधि आधारित Non Fund Based	कुल ऋण सहायता Total exposure
1	बिजली / Power	18,727.50	15,108.88	33,836.37
2	खुदरा ऋण / Retail loans	26,870.30	0.00	26,870.30
3	लोहा एवं इस्पात / Iron and steel	15,264.83	8,517.78	23,782.61
4	सड़क, पुल / पोर्ट / Roads & Bridges / Ports	11,097.18	8,709.22	19,806.40
5	दूरसंचार सेवाएं / Telecom	13,195.89	4,772.05	17,967.94
6	तेल और गैस / पेट्रोलियम पदार्थ /Oil & Gas/ Petroleum products	9,680.55	7,084.73	16,765.27
7	एनबीएफसी /NBFC	14,144.58	435.99	14,580.58
8	कृषि एवं सम्बद्ध सेवा कार्यकलाप / Agriculture & Related service activities	12,962.59	1,072.38	14,034.96
9	सामान्य मशीनरी एवं उपकरण /General Machinery & Equipments	4,236.02	7,442.91	11,678.94
10	टेक्सटाइल / Textiles	8,784.61	1,555.95	10,340.56
11	निर्माण / Construction	2,648.09	7,675.02	10,323.11
12	व्यापार / Trading	3,611.82	3,773.91	7,385.73

(करोड़ ₹) (₹ Crore)

क्रम सं. Sr. No.	उद्योग Industry	निधि आधारित Fund based	गैर-निधि आधारित Non Fund Based	कुल ऋण सहायता Total exposure
13	धातु पदार्थ / Metal products	2,902.04	4,446.07	7,348.11
14	सीमेंट / Cement	6,101.41	1,047.43	7,148.84
15	इंफ्रास्ट्रक्चर / Infrastructure other	3,038.42	4,079.18	7,117.60
16	रसायन और रसायन उत्पाद / Chemical & Chemical products	2,475.63	3,039.63	5,515.26
17	वाणिज्यिक रियल एस्टेट / Commercial Real Estate	4,388.90	620.30	5,009.20
18	आवास वित्त कंपनियां / Housing Finance Companies	4,995.37	0.00	4,995.37
19	बिजली मशीनरी एवं उपकरण / Electrical Machinery & Equipments	1,624.78	3,229.83	4,854.61
20	उर्वरक / Fertilizers	2,599.99	1,774.10	4,374.09
	कुल / Total	169,350.51	84,385.35	253,735.86

iii) **31 मार्च 2011 के अनुसार बैंक की एकल आधार पर परिसंपत्तियों तथा देयताओं का शेष संविदात्मक परिपक्वता विश्लेषण**
Residual contractual maturity breakdown of assets and liabilities of the Bank on a standalone basis as on March 31, 2011

(₹ करोड़) (₹ Crore)

परिपक्वता संवर्ग Maturity Bucket	परिसंपत्तियां Assets					देयताएं Liabilities				
	नकदी एवं रिज़र्व बैंक व अन्य बैंकों के पास जमा शेष Cash & Balances with RBI and Other Banks	निवेश Investments	अग्रिम Advances	अचल परिसंपत्तियां एवं अन्य परिसंपत्तियां Fixed Assets & Other Assets	कुल परिसंपत्तियां TOTAL ASSETS	पूंजी एवं रिज़र्व Capital & Reserves	जमा-राशियां Deposits	उधार Borrowings	अन्य देयताएं एवं प्रावधान Other Liabilities & Provisons	कुल देयताएं TOTAL LIABILITIES
पहला दिन / Day 1	9,151	10	1,208	422	10,791	-	2,284	3	94	2,381
2 से 7 दिन / 2 to 7 days	709	6,395	3,142	54	10,298	-	7,321	273	243	7,837
8 से 14 दिन / 8 to 14 days	165	1,235	2,313	181	3,894	-	3,173	5	414	3,592
15 से 29 दिन / 15 to 28 days	397	1,486	5,931	159	7,973	-	7,784	112	93	7,989
29 दिन से 3 माह तक 29 days & upto 3 months	1,675	1,541	6,742	760	10,718	-	22,808	4,937	839	28,584
3 माह से अधिक व 6 माह तक Over 3 months & upto 6 months	848	891	9,891	387	12,016	-	15,018	3,713	428	19,159
6 माह से अधिक व 12 माह तक Over 6 months & upto 1 Yr	2,555	1,179	7,523	94	11,351	-	46,303	6,007	800	53,110
1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक Over 1 year & upto 3 years	3,432	5,885	63,331	19	72,667	-	60,559	13,370	1,103	75,032
3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक Over 3 years & upto 5 years	667	8,380	23,375	1,861	34,283	-	6,632	8,476	-	15,108
5 वर्ष से अधिक / Over 5 yrs	1,167	41,269	33,644	3,307	79,386	14,568	8,604	14,673	2,741	40,585
कुल / Total	20,766	68,269	157,098	7,243	253,377	14,568	180,486	51,570	6,754	253,377

घ) 31 मार्च 2011 के अनुसार अनर्जक परिसंपत्तियां
d) Non Performing Assets as on March 31, 2011

	(₹ करोड़) (₹ Crore)
एनपीए की राशि (सकल) / Amount of NPAs (Gross)	2784.73
क) अवमानक a. Substandard	1595.18
ख) संदिग्ध 1 b. Doubtful 1	730.99
ग) संदिग्ध 2 c. Doubtful 2	297.80
घ) संदिग्ध 3 d. Doubtful 3	57.52
ड़) हानि e. Loss	103.24
च) निवल एनपीए राशि f. Net NPAs	1677.91
छ) **एनपीए अनुपात** g. **NPA Ratios**	
• सकल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए / Gross NPAs to Gross Advances	1.76%
• निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए / Net NPAs to Net Advances	1.06%
ज) **एनपीए में घट-बढ़ (सकल)** h. **Movement of NPAs (Gross)**	
• आरंभिक शेष / Opening Balance	2129.38
• विलय के निमित्त परिवर्धन /Addition on account of merger	29.72
• परिवर्धन / Additions	1957.60
• कटौतियां / Reductions	1331.97
• अंतिम शेष / Closing Balances	2784.73
झ) **एनपीए के लिए प्रावधानों में घट-बढ़** i. **Movement of Provisions for NPAs**	
• आरंभिक शेष / Opening Balance	723.06
• विलय के निमित्त परिवर्धन /Addition on account of merger	16.67
• अवधि के दौरान किए गए प्रावधान / Provisions made during the period	1410.38
• अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते डालना / पुनरांकित करना Write off/ Write back of excess provisions	1043.29
• अंतिम शेष / Closing Balances	1106.82
ञ) **अनर्जक निवेशों की राशि** (j) **Amount of Non-performing Investments**	329.07
ट) अनर्जक निवेशों के लिए धारित प्रावधानों की राशि (k) Amount of provisions held for Non-performing Investments	314.42
ठ) निवेशों (बांड व डिबेंचर सहित) के मूल्य में कमी के लिए प्रावधानों में घट-बढ़ (l) Movement of provisions for depreciation on investments (including bonds and debentures)	
आरंभिक शेष / Opening Balance	205.15
अवधि के दौरान किए गए प्रावधान / Provisions made during the period	160.87
अतिरिक्त प्रावधानों को बट्टे खाते डालना / पुनरांकित करना / Write offs / Write Back of excess provisions	51.60
अंतिम शेष / Closing Balance	314.42

डीएफ-5: मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो का प्रकटन:

DF-5: Credit Risk- Disclosures of Portfolios subject to the Standardised Approach.

बैंक पूंजी गणना के लिए अपनी ऋण सहायता पर धारित जोखिम की गणना करने के लिए रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों द्वारा विनिर्दिष्ट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई रेटिंग का प्रयोग करता है. रिज़र्व बैंक ने बासेल II के संबंध में अपने दिशा-निर्देशों में यह विनिर्दिष्ट किया है कि बैंक अपनी देशी ऋण सहायता का मूल्यांकन करने के लिए केयर, क्रिसिल, इक्रा और फिच (इंडिया) तथा विदेशी ऋण निवेशों के लिए फिच, मूडीज़ तथा एस एंड पी जैसी प्रतिष्ठित एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग का उपयोग कर सकते हैं.

The Bank uses the solicited ratings assigned by the rating agencies specified by RBI for calculating the risk weights on its exposures for capital calculations. In its guidelines on Basel II, the RBI has specified that banks may use the external ratings assigned by CARE, CRISIL, ICRA and FITCH (India) for their domestic exposures and by Fitch, Moodys and Standard and Poor's for overseas exposures.

प्रदत्त रेटिंग का प्रयोग तुलन-पत्र में तथा तुलन-पत्र से इतर; अल्पावधि व दीर्घावधि; सभी प्रकार की ऋण सहायता के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत रीति से किया जाता है. केवल उन्हीं रेटिंग पर विचार किया जाता है, जो जनता के लिए उपलब्ध हों तथा जो एजेंसी के मासिक बुलेटिन के अनुसार लागू हों.

The ratings assigned are used for all eligible exposures; on balance sheet and off balance sheet; short term and long term in the manner permitted by the RBI guidelines. Only those ratings that are publically available and in force as per the monthly bulletin of the rating agency are considered.

जोखिम धारिता के प्रयोजन से बाह्य ऋण मूल्यांकन के लिए बैंक की ऋण सहायता की समग्र राशि को लिया जाता है. बैंक एक वर्ष या इससे कम की संविदात्मक परिपक्वता वाली ऋण सहायता के लिए अल्पावधि रेटिंग तथा एक वर्ष से अधिक वाली ऋण सहायता के लिए दीर्घावधि रेटिंग का प्रयोग करता है.

To be eligible for risk weighting purposes, the entire amount of credit risk exposure to the Bank is taken into account for external credit assessment. The Bank uses short term ratings for exposures with contractual maturity of less than or equal to one year and long term ratings for those exposures which have a contractual maturity of over one year.

किसी कॉरपोरेट को प्रदान की गई रेटिंग को उस कॉरपोरेट की ऋण सहायता में अंतरित करने तथा उस ऋण सहायता में उचित जोखिम धारिता लागू करने की प्रक्रिया रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुरूप की जाती है. जहाँ प्रदत्त सहायता के लिए एक से अधिक रेटिंग उपलब्ध हैं, वहाँ दो रेटिंग उपलब्ध होने पर निम्नतर रेटिंग तथा तीन या अधिक रेटिंग होने पर द्वितीय निम्नतर रेटिंग लागू की जाती है.

The process used to transfer the ratings assigned to a corporate to the exposure of that corporate and apply the appropriate risk weight to that exposure is as per the regulatory guidelines prescribed by RBI. In cases where multiple ratings are available for a given facility, the lower rating, where there are two ratings and the second lowest rating where there are three or more ratings is applied.

बैंकिंग बही में परिसंपत्तियों की बकाया राशि और विभिन्न ऋण जोखिम न्यूनीकरण कारकों के अंतर्गत जोखिम समूहों में निधि आधारित सुविधाओं की बकाया राशि निम्नानुसार है:

The amount of outstanding of Assets in banking book and non fund based facilities in various risk buckets net of credit risk mitigants is stated below.

(₹ करोड़) (₹ Crore)

जोखिम भार **Risk Weight**	**बकाया राशि** **Total Outstanding**
100% से कम / Less than 100%	170902.73
100%	110746.11
100% से अधिक / More than 100%	18458.38
पूंजी से कटौती / Deduction from Capital	42.99
कुल / Total	300150.21

डीएफ-6 : ऋण जोखिम न्यूनीकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण का प्रकटन

DF-6: Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approach

संपार्श्विक प्रतिभूति उधारकर्ता द्वारा ऋण सुविधा को सुरक्षित करने के लिए उधारदाता को प्रदान की गई एक परिसंपत्ति या अधिकार है. बैंकों द्वारा संपार्श्विक पर अपनी पूर्णतः या अंशतः ऋण सहायता की बचाव व्यवस्था करने (हेज़िंग) के लिए वित्तीय तथा गैर-वित्तीय दोनों संपार्श्विक प्रतिभूतियों का इस्तेमाल किया जाता है. मुख्य वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों में नकदी, बैंक की स्वयं की जमा राशि, स्वर्ण, केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियां, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र तथा घोषित अभ्यर्पण मूल्य के साथ जीवन बीमा पॉलिसियां शामिल हैं. गैर-वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों में भूमि व भवन, संयंत्र एव मशीनरी तथा स्टॉक शामिल हैं.

A collateral is an asset or a right provided to the lender to secure a credit facility by the borrower. Both financial as well as non financial collaterals are used by the Bank to hedge its credit exposures in whole or in part against the collateral. The main financial collaterals include cash, Bank's own FDs, gold, securities issued by Central and State Governments, Kisan Vikas Patra, National Saving Certificate and Life Insurance Policies with a declared surrender value. The non financial collaterals include Land and Building, Plant and Machinery and Stock.

बैंक के पास ऋण जोखिम न्यूनीकरण तकनीक तथा संपार्श्विक प्रतिभूति प्रबंध के संबंध में एक बोर्ड अनुमोदित नीति है जिसमें स्वीकार्य संपार्श्विक प्रतिभूतियों के बारे में दिशानिर्देश और ऐसी संपार्श्विक प्रतिभूतियों के वर्गीकरण तथा मूल्यांकन के लिए पद्धतियां एवं प्रक्रियाएं दी गयी हैं.

The Bank has a Board approved policy on Credit Risk Mitigation Techniques and Collateral Management of the Bank, which includes guidelines on acceptable collaterals and procedures and processes to enable classification and valuation of such collaterals.

बैंक संभावित ऋण जोखिमों के प्रभाव को कम करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं तथा तकनीकों का प्रयोग करता है. ऋण जोखिम न्यूनीकरण एक ऐसा साधन है जिसे रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट रूप में पात्र संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रदान किये गये जोखिम न्यूनीकरण की सीमा तक पूंजी आवश्यकता की गणना करते समय प्रतिपक्षी को बैंक के ऋण के जोखिम को कम करने के लिए तैयार किया गया है. संपार्श्विक प्रतिभूति के जोखिम न्यूनीकरण प्रभाव को हिसाब में लेने के लिए उपयुक्त मार्जिन लगाने के बाद प्रतिपक्षी की ऋण सहायता में विनिर्दिष्ट वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों के मूल्य के आधार पर कमी की जाती है. मार्जिन का प्रयोग ऋण सहायता तथा संपार्श्विक प्रतिभूति दोनों के लिए अस्थिरता समायोजित राशि प्रदान करेगा.

The Bank utilizes various processes and techniques to reduce the impact of the credit risk to which it is exposed. Credit Risk Mitigation is one such tool designed to reduce the Bank's credit exposure to the counterparty while calculating its capital requirement to the extent of the risk mitigation provided by the eligible collateral as specified in the RBI guidelines. The credit exposure to a counter party is reduced by the value of specified financial collaterals after applying appropriate haircuts to take account of risk mitigating effect of the collateral. The application of the haircuts will provide volatility adjusted amounts for both the exposure and the collateral.

उत्पाद के लिए उपयुक्त संपार्श्विक प्रतिभूति का निर्धारण उधारकर्ता के प्रकार, जोखिम रूपरेखा तथा सुविधा को हिसाब में लेने के बाद किया जाता है. बैंक द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियों में बैंक की स्वयं की जमाराशियां, राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र, किसान विकास-पत्र तथा बीमा पॉलिसियां शामिल हैं. अधिकांश पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियां जहां बैंक ने सीआरएम तकनीक के अंतर्गत पूंजीगत अभिलाभ प्राप्त किया है, बैंक की स्वयं की सावधि जमाराशियों के रूप में हैं और अतएव ऋण या बाजार जोखिम के अधीन नहीं हैं. रिटेल पोर्टफोलियो के अंतर्गत संपार्श्विक प्रतिभूतियों को योजना के प्रकार के अनुसार परिभाषित किया जाता है, जैसे आवास ऋण के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति आवासीय बंधक होगी.

The appropriate collateral for a product is determined after taking into account the type of borrower, the risk profile and the facility. The main types of eligible financial collaterals accepted by the Bank are Bank's own deposits, National Savings Certificates, Kisan Vikas Patra and insurance policies. Most of the eligible financial collaterals where the Bank has availed capital benefits under CRM techniques are in the form of Bank's own FDs and hence not subjected to credit or market risk. Under the retail portfolio the collaterals are defined as per the type of product e.g. collateral for housing loan would be residential mortgage.

बैंक सिर्फ उन्हीं गारंटियों पर विचार करता है जो प्रत्यक्ष, स्पष्ट तथा अशर्त होती हैं. ऋण जोखिम न्यूनीकरण के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए गारंटी का संरक्षित हिस्सा गारंटीकर्ता का समनुदेशित जोखिम भार होता है.

The Bank only considers those guarantees which are direct, explicit and unconditional. For availing benefits under Credit Risk Mitigation, the protected portion of the guarantee is assigned the risk weight of the guarantor.

संप्रभु सरकारों, सरकारी संस्थाओं, बैंकों, प्राथमिक व्यापारियों तथा उच्च रेटिंग प्राप्त कॉरपोरेट संस्थाओं को रिजर्व बैंक के बासेल II संबंधी दिशानिर्देशों में निर्धारित रूप में पूंजीगत अभिलाभ प्राप्त करने के लिए बैंक द्वारा पात्र गारंटीकर्ता माना जाता है.

Sovereigns, sovereign entities, banks, primary dealers and highly rated corporate entities are considered as eligible guarantors by the Bank for availing capital benefits as stipulated in the RBI guidelines on Basel II.

सीआरएम तकनीक में शामिल बैंक की ऋण सहायता निम्नानुसार है :

The bank exposure where CRM techniques were applied are as follows:

(₹ करोड़) (₹ Crore)

विवरण Particulars	निधि आधारित Fund Based	गैर-निधि आधारित Non Fund Based
पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति में शामिल कुल ऋण सहायता Total Exposures covered by eligible financial collateral	8542.23	11662.35
पात्र संपार्श्विक प्रतिभूति का लाभ लेने के बाद ऋण सहायता Exposure after taking benefit of eligible collateral	3322.90	8020.63

जहां रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार कॉरपोरेट गारंटियों का सीआरएम तकनीक के रूप में प्रयोग किया गया वहां ऋण सहायता की राशि ₹ 546.21 करोड़ थी.

The exposure covered by corporate guarantees where CRM techniques as per RBI guidelines were applied amounted to ₹.546.21crores.

डीएफ-7 : प्रतिभूतिकरण ऋण निवेश : मानकीकृत दृष्टिकोण का प्रकटन

DF-7: Securitisation exposure-Disclosure for Standardised Approach

बैंक अपनी जोखिम प्रबंध रणनीति के एक हिस्से के रूप में पूंजी के प्रभावी उपयोग, चलनिधि में वृद्धि और परिसंपत्तियों से अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करने के लिए प्रतिभूतिकरण कार्यकलाप करता है. बैंक के मुख्य प्रतिभूतिकृत ऋण-निवेश पास थ्रु सर्टीफिकेटों (पीटीसी) के रूप में प्रतिभूतिकृत ऋण-पत्रों में किये गये निवेश और द्वितीय हानि तथा चलनिधि सुविधा के रूप में ऋण वृद्धि प्रदान करना है. बैंक कॉरपोरेट ऋणों, खुदरा ऋण समूहों और प्रतिभूतिकृत ऋण-पत्रों का क्रय-विक्रय करता है. इन ऋणों / प्राप्य राशियों को रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिभूतिकरण मार्ग से प्राप्त किया जाता है.

The Bank takes up securitisation activity for efficient use of capital, enhancing liquidity and churning of assets as part of the risk management strategy. The main securitsed exposures of the Bank are the investments made in securitized papers in the form of Pass Through Certificates (PTCs) and the providing of credit enhancements in the form of Second Loss and Liquidity facility. The Bank enters into purchase /sale of corporate loans, pool of retail loans and securitised paper. These loans/ receivables are acquired through the Securitisation route in accordance with the prevalent RBI guidelines.

बैंक प्रतिभूतिकरण लेन-देनों में निम्नलिखित में से कुछ या सभी भूमिकाएं अदा करता है:

The Bank plays either some or all of the following roles in securitisation transactions:

1. **निवेशक:** निवेशक जो विशेष प्रयोजन माध्यमों (एसपीवी) द्वारा जारी प्रतिभूतिकृत ऋण-पत्रों अर्थात् पास थ्रु सर्टीफिकेटों (पीटीसी) में निवेश करता है.

   Investor: As an investor who invests in the securitized papers viz. Pass Through Certificates (PTCs) issued by the Special Purpose Vehicle (SPV).

2. **ऋण वृद्धि प्रदाता:** भारत में खुदरा ऋणों के प्रतिभूतिकरण लेन-देन, जिसकी शुरुआत फरवरी 2006 में रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के लागू होने के बाद हुई, सामान्यतः चलनिधि सुविधा (एलएफ), प्रथम हानि ऋण सुविधा (एफएलसीएफ) तथा द्वितीय हानि ऋण सुविधा (एसएलसीएफ) द्वारा समर्थित हैं. इन सुविधाओं को सामूहिक रूप से ऋण वृद्धि कहा जाता है. चलनिधि सुविधा का प्रयोग समूहन अंतर्वाहों में अस्थायी असंतुलन को पूरा करने के लिए किया जाता है जबकि प्रथम हानि ऋण सुविधा और द्वितीय हानि ऋण सुविधा समूहन ऋण में कमियों को पूरा करने के लिए आशयित हैं.

Provider of Credit Enhancement (CE): Securitisation transactions of retail loans in India, originated after introduction of extant RBI guidelines in February 2006, are generally backed by Liquidity Facility (LF), First Loss Credit Facility (FLCF) and Second Loss Credit Facility (SLCF), collectively known as Credit Enhancement. While LF is used for meeting temporary mismatch in pool inflows, FLCF and SLCF are meant for meeting pool delinquencies.

3. **प्रवर्तक:** एक प्रवर्तक के रूप में बैंक अपने ऋण पोर्टफोलियों की प्रतिभूतिकरण मार्ग के जरिए एसपीवी को एकल परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों के समूह की बिक्री के रूप में करता है.

Originator: As an originator the Bank sells its loan portfolios either a single asset or a pool of assets to an SPV through the securitisation route.

4. **सेवा प्रदाता:** प्रतिभूतिकृत समूहों के लिए, बैंक एसपीवी की ओर से प्रशासनिक कार्य करता है, एसपीवी की निधियों का प्रबंध करता है और निवेशकों को सेवाएं प्रदान करता है. भारत में, प्रवर्तक सामान्यतः अधिकांश लेन-देनों में सेवा प्रदाता की भूमिका अदा करता है.

Servicer: For pools securitized, the bank carries out administrative functions on behalf of the SPV, manages the SPV's funds and services the investors. In India, the originator generally plays the role of the servicer in most transactions.

क. **a.**	**बैंक के प्रतिभूतिकरण कार्यकलापों के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटन निम्नलिखित हैं:** **The general qualitative disclosures with respect to securitisation activities of the Bank are as follows:**	
	• प्रतिभूतिकरण कार्यकलाप के संबंध में बैंक का उद्देश्य, उस सीमा सहित जिस तक ये कार्यकलाप अंतर्निहित प्रतिभूतिकृत ऋणों के ऋण जोखिम को बैंक से अलग अन्य संस्थाओं को अंतरित करते हैं. the bank's objectives in relation to securitisation activity, including the extent to which these activities transfer credit risk of the underlying securitised exposures away from the bank to other entities.	शुल्क आधारित आय व पूंजीगत अभिलाभ अर्जित करने तथा प्रतिभूतिकृत कागज़ात प्राप्त करने / बेचने के लिए ऋणों को दायित्व-रहित आधार पर प्रतिभूतिकृत किया जाता है जिसके द्वारा अंतर्निहित ऋणों का ऋण जोखिम प्राप्तकर्ता को अंतरित हो जाता है. To generate fee based income and capital gains and acquisition/ sale of securitized papers. The loans are securitized on non-recourse basis whereby the credit risk of the underlying loans is fully transferred to the acquirers.
	• अन्य जोखिमों का स्वरूप the nature of other risks.	कुछ नहीं Nil
	• प्रतिभूतिकरण प्रक्रिया में बैंक द्वारा निभायी जाने वाली विभिन्न भूमिकाएं और इनमें से हरेक में बैंक की सहभागिता की सीमा का संकेत The various roles played by the bank in the securitisation process and an indication of the extent of the bank's involvement in each of them;	वित्तीय वर्ष 2011 के दौरान बैंक ने प्रवर्तक, निवेशक, ऋण वृद्धि, चलनिधि सुविधा प्रदाता और सेवा प्रदाता के रूप में निम्नलिखित भूमिकाएं अदा की हैं: During FY 2011, the Bank has played the roles of an Investor, Provider of Credit Enhancement and Liquidity Facility in Securitisation exposures as per the following details:

		क्र. सं. Sr. No	अदा की गई भूमिका Role played	लेन-देनों की संख्या No. of transactions	अंतर्निहित राशि (₹ करोड़) Amount involved (₹ Crore)
		1	निवेशक Investor	4	89.35
		2	ऋण वृद्धि प्रदाता (द्वितीय हानि सुविधा) Provider of Credit enhancement (Second Loss Facility)	1	36.27
		3	चलनिधि सुविधा प्रदाता Provider of Liquidity Facility	2	33.25
	• प्रतिभूतिकरण ऋण निवेशों के ऋण तथा बाज़ार जोखिम में परिवर्तनों की निगरानी करने के लिए लागू प्रक्रियाओं का विवरण a description of the processes in place to monitor changes in the credit and market risk of securitisation exposures.	प्रतिभूतिकरण ऋण-निवेश उन प्रतिभूतिकृत खुदरा ऋणों को समूहित करना है जहां प्रवर्तक सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं. समूह को एएए (एसओ) रेटिंग दी जाती है और उन्हें पर्याप्त ऋण वृद्धि (सीई) द्वारा समर्थन दिया जाता है. बैंक वसूली निष्पादन, चुकौती, समय-पूर्व भुगतान, ऋण वृद्धि के उपयोग तथा रेटिंग पूल की आवधिक निगरानी करता है. The securitisation exposure is to Pools of secured retail loans where the originators are acting as servicers. The pools are rated AAA(SO) and supported by adequate credit enhancement (CE). The Bank periodically monitors the collection performance, repayments, prepayments, utilization of CE and rating of the pools.			
	• प्रतिभूतिकरण ऋण-निवेशों के जरिए प्रतिधारित जोखिमों को कम करने के लिए ऋण जोखिम न्यूनीकरण के प्रयोग को नियंत्रित करने संबंधी बैंक की नीति का विवरण a description of the bank's policy governing the use of credit risk mitigation to mitigate the risks retained through securitisation exposures;	बैंक मानक परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण के संबंध में रिज़र्व बैंक के 1 फरवरी 2006 के परिपत्र में वर्णित दिशा-निर्देशों का अनुसरण करता है. बैंक रेटिंग एजेंसियों द्वारा निर्धारित रूप में पर्याप्त ऋण वृद्धि के साथ प्रतिभूतिकृत परिसंपत्तियों को अर्जित करता है. बैंक पर्याप्त ऋण वृद्धि वाले एएए (एसओ) रेटिंग प्राप्त प्रतिभूतिकृत समूहों में ही निवेश करता है. The Bank meticulously follows extant RBI guidelines on Securitisation of Standard Assets as outlined in RBI circular dated February 1, 2006. The Bank acquires securitized assets with adequate CE as stipulated by the rating agencies. The Bank's securitisation exposure is to AAA(SO) rated pools, where adequate credit enhancement have been provided.			
ख b	**प्रतिभूतिकरण कार्यकलापों के लिए बैंक की लेखा नीतियों का सारांश, निम्नलिखित सहित:** **Summary of the bank's accounting policies for securitisation activities, including:**				
	• लेन-देनों को बिक्री माना जाता है या वित्तपोषण whether the transactions are treated as sales or financings;	• प्रतिभूतिकरण को बिक्री माना जाता है. • प्रतिभूतिकृत कागजात का अर्जन निवेश माना जाता है. • Securitisation is treated as Sales. • Acquisition of securitized papers are treated as investments.			
	• प्रतिधारित या क्रय की गई स्थितियों का मूल्यांकन करने में प्रयुक्त विधियां तथा मुख्य धारणाएं (निविष्टियों सहित) methods and key assumptions (including inputs) applied in valuing positions retained or purchased	प्रतिभूतिकृत कागजात (पीटीसी) को रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार फिम्मडा मूल्यांकन के आधार पर मार्क-टु-मार्केट किया जाता है. The securitized papers (PTCs) are marked to market based on FIMMDA valuations as per extant RBI guidelines.			

	• गत अवधि से विधियों तथा मुख्य धारणाओं में परिवर्तन और परिवर्तनों का प्रभाव changes in methods and key assumptions from the previous period and impact of the changes;	शून्य NIL
	• उन व्यवस्थाओं के लिए तुलन-पत्र में देयताओं को दर्शाने के लिए नीतियां जो बैंक से प्रतिभूतिकृत परसंपत्तियों के लिए वित्तीय सहायता की अपेक्षा कर सकती हैं. policies for recognising liabilities on the balance sheet for arrangements that could require the bank to provide financial support for securitised assets.	रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार देयताएं तुलनपत्र में दर्शायी जाती हैं. Liabilities are recognized on the balance sheet in terms of RBI guidelines.
	बैंकिंग बही में, प्रतिभूतिकरण के लिए प्रयुक्त बाह्य ऋण मूल्यांकन संस्थाओं (ईसीएआई) के नाम और प्रतिभूतिकरण ऋण निवेश का प्रकार जिसके लिए हर एजेंसी का प्रयोग किया जाता है. In the banking book, the names of External Credit Assessment Institutions (ECAIs) used for securitisation and the types of securitisation exposure for which each agency is used.	बैंक ने वित्तीय वर्ष 2010-11 में किसी ऋण का प्रतिभूतिकरण नहीं किया. The Bank has not securitized any loan in FY 2010-11.
ग. **c.**	**बैंकिंग बही में बैंक के प्रतिभूतिकरण कार्यकलापों के संबंध में मात्रात्मक प्रकटन निम्नलिखित हैं:** **Quantitative disclosures with respect to securitisation activities of the Bank in the Banking book are as follows:**	
1.	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत ऋणों की कुल राशि The total amount of exposures securitised by the bank	शून्य NIL
2.	वर्तमान अवधि के दौरान प्रतिभूतिकृत हानियों के लिए बैंक द्वारा हिसाब में ली गई ऋण सहायता For exposures securitized, losses recognised by the bank during the current period broken by the exposure type.	शून्य NIL
3.	एक वर्ष के भीतर प्रतिभूतिकृत की जाने वाली परिसंपत्तियों की राशि Amount of assets intended to be securitised within a year	शून्य NIL
4.	इनमें से प्रतिभूतिकरण से एक वर्ष पूर्व उत्पन्न हुई परिसंपत्तियों की राशि. Of the above, the amount of assets originated within a year before securitisation.	शून्य NIL

5.	प्रतिभूतिकृत ऋणों की कुल राशि (ऋण के प्रकार के अनुसार) और ऋण प्रकार के अनुसार बिक्री पर अभिलाभ या हानि न माने गये. The total amount of exposures securitised (by exposure type) and unrecognised gain or losses on sale by exposure type.	शून्य NIL
	निम्न की कुल राशि : Aggregate amount of: • ऋण के प्रकार के अनुसार विभक्त प्रतिधारित या खरीदे गए तुलन पत्र में शामिल किये गये प्रतिभूतिकरण ऋण on-balance sheet securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type and	(₹ करोड़) (₹ Crore)

	(₹ करोड़) (₹ Crore)
प्रतिधारित / खरीदे गए Retained/purchased	शून्य NIL
द्वितीय हानि सुविधा (1 प्रतिभूतिकरण लेन-देन के लिए) Second Loss Facility (for 1 securitisation transaction)	36.27
चलनिधि सुविधा (2 प्रतिभूतिकरण लेन-देनों के लिए) Liquidity Facility (for 2 securitisation transactions)	33.25
कुल Total	69.52

	• ऋण के प्रकार के अनुसार विभक्त तुलन पत्र में शामिल न किए गए प्रतिभूतिकरण ऋण off-balance sheet securitisation exposures broken down by exposure type	शून्य NIL
	• प्रतिधारित या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण ऋणों की कुल राशि और संबद्ध पूंजी प्रभार, ऋणों में विभक्त और हरेक विनियामक पूंजी दृष्टिकोण के लिए अलग-अलग जोखिम भार दायरे में पुनः विभक्त Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased and the associated capital charges, broken down between exposures and further broken down into different risk weight bands for each regulatory capital approach	(₹ करोड़) (₹ Crore)

सुविधा Facility	**100 % सीसीआर पर राशि Amt. At 100% CCR**	**रेटिंग Rating**	**जोखिम भार Risk Weight**
चलनिधि सुविधा Liquidity Facility	33.25	समूह रेटिंग एएए (एसओ) (फिच) Pool rating AAA(SO) by FITCH	20%

	• ऋण सहायता जिन्हें टीयर I पूंजी से पूरी तरह से घटाया गया है, कुल पूंजी में से घटाए गए ऋण वृद्धिकारी बकाया लिखत और कुल पूंजी में से घटाए गए अन्य ऋण Exposures that have been deducted entirely from Tier 1 capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital.	क. पीटीसी का आवास ऋण प्रतिभूतिकरण : ₹ 6.71 करोड़ a. Home Loan Securitisation of PTCs ₹. 6.71crore. ख. द्वितीय हानि सुविधाः ₹ 36.27 करोड़ b. Second Loss Facility ₹ 36.27 crore. (टीयर I तथा टीयर II, प्रत्येक से ₹ 21.29 करोड़ की कटौती) (₹ 21.49 crore. deducted from Tier I and Tier II each)
घ. **d.**	**व्यापारिक बही में बैंक के प्रतिभूतिकरण कार्यकलापों के संबंध में मात्रात्मक प्रकटन निम्नलिखित हैं :** **Quantitative disclosures with respect to securitisation activities of the Bank in the Trading book are as follows:**	
1.	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत ऋण सहायता की कुल राशि जिनके लिए बैंक ने कुछ ऋण जोखिमों को अपने पास रखा है और जो ऋण के प्रकार के अनुसार बाज़ार जोखिम दृष्टिकोण के अधीन हैं. Aggregate amount of exposures securitised by the bank for which the bank has retained some exposures and which is subject to the market risk approach, by exposure type.	शून्य NIL
2.	निम्न की कुल राशि : • ऋण के प्रकार के अनुसार अलग-अलग वर्णित प्रतिधारित या खरीदे गए तुलन पत्र में शामिल किये गये प्रतिभूतिकरण ऋणः तथा Aggregate amount of: • on-balance sheet securitisation exposures retained or purchased broken down by exposure type; and	क्रय किए गए (बकाया निवेश) - ₹ 89.35 करोड़ Purchased (Investments Outstanding)- ₹.89.35 crore.
	• ऋण के प्रकार के अनुसार अलग-अलग दिये गये तुलन-पत्रेतर प्रतिभूतिकरण ऋण. off-balance sheet securitisation exposures broken down by exposure type.	शून्य NIL

<table>
<tr><td>3.</td><td>निम्न के लिए अलग-अलग प्रतिधारित या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण ऋणों की कुल राशि:
Aggregate amount of securitisation exposures retained or purchased separately for:</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>• विशिष्ट जोखिम के लिए व्यापक जोखिम उपाय के अधीन प्रतिधारित या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण ऋण: तथा
securitisation exposures retained or purchased subject to Comprehensive Risk Measure for specific risk; and</td><td>शून्य
NIL</td></tr>
<tr><td></td><td>• विभिन्न जोखिम भार दायरों में विभक्त विशिष्ट जोखिम के लिए प्रतिभूतिकरण ढाँचे के अधीन प्रतिभूतिकरण ऋण
securitisation exposures subject to the securitisation framework for specific risk broken down into different risk weight bands.</td><td>बकाया निवेश : ₹ 89.35 करोड़
Investments Outstanding-₹.89.35 crore.</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>निम्न की कुल राशि :
Aggregate amount of:
• प्रतिभूतिकरण ऋणों के लिए पूंजी अपेक्षाएं, अलग-अलग जोखिम भार दायरे में विभक्त प्रतिभूतिकरण ढाँचे के अधीन
the capital requirements for the securitisation exposures, subject to the securitisation framework broken down into different risk weight bands.</td><td>(₹ करोड़) (₹ Crore)
<table>
<tr><th>सुविधा
Facility</th><th>100 % सीसीआर पर राशि
Amt. At 100% CCR</th><th>रेटिंग
Rating</th><th>जोखिम भार
Risk Weight</th></tr>
<tr><td>बकाया निवेश
Investment Outstanding</td><td>89.35</td><td>एएए (एसओ) (क्रिसिल, केयर एवं फिच्च)
AAA(SO) (CRISIL, CARE & FITCH)</td><td>20%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td></td><td>• ऋण जिन्हें टीयर I पूंजी से पूरी तरह से घटाया गया है, कुल पूंजी में से घटाए गए ऋण वृद्धिकारी बकाया लिखत और कुल पूंजी में से घटाए गए अन्य ऋण
securitisation exposures that are deducted entirely from Tier I capital, credit enhancing I/Os deducted from total capital, and other exposures deducted from total capital.</td><td>शून्य
NIL</td></tr>
</table>

डीएफ-8: व्यापार बही में बाजार जोखिम:

DF-8: Market Risk in Trading Book

बाजार जोखिम का अर्थ है ब्याज दरों, इक्विटी दरों, विनिमय दरों और पण्य दरों जैसे बाजार को प्रभावित करने वाले कारकों में उतार-चढ़ाव तथा अस्थिरता के कारण निवेश के मूल्य में होने वाली हानि की जोखिम है. बैंक को स्वयं के साथ-साथ ग्राहकों की ओर से भी किए जाने वाले कारोबारी कार्यकलापों के कारण बाजार जोखिम का सामना करना पड़ता है. बैंक इन कार्यकलापों से होने वाली वित्तीय ऋण सहायता पर अपनी जोखिम प्रबंध व्यवस्था के तहत निगरानी व प्रबंधन रखता है, जिसके तहत वित्तीय बाजारों की अप्रत्याशित प्रकृति पर नजर रखने के साथ-साथ शेयरधारकों की पूंजी पर पड़ने वाले किसी विपरीत प्रभाव को न्यूनतम करने का प्रयत्न किया जाता है.

Market Risk is the risk of loss in the value of an investment due to adverse movements in the level of the market variables such as interest rates, equity rates, exchange rates and commodity rates, as well as volatilities in them. The Bank is exposed to market risk through its trading activities, which are carried out on its own account as well as those undertaken on behalf of its customers. The Bank monitors and manages the financial exposures arising out of these activities as an integral part of its overall risk management system, which takes cognizance of the unpredictable nature of the financial markets and is striving in minimizing any adverse impact on the Shareholders wealth.

बैंक ने परिसंपत्ति देयता प्रबंध (एएलएम) नीति, बाजार जोखिम नीति, निवेश नीति और डेरिवेटिव नीति जैसी नीतियां तैयार की हैं, जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित हैं. इन नीतियों से यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा विनिमय और डेरिवेटिव के परिचालन उचित व मान्य कारोबार प्रथा के अनुरूप तथा विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार किए जाएं. इन नीतियों में वित्तीय लिखतों के लेन-देन के संबंध में सीमाएं तय की गई हैं. कारोबार आवश्यकताओं व आर्थिक परिवेश में होने वाले परिवर्तनों और संशोधित नीति-निर्देशों को देखते हुए इनमें आवश्यक परिवर्तन के लिए इन नीतियों की आवधिक रूप से समीक्षा भी की जाती है.

The Bank has formulated as Asset Liabilities Management (ALM) Policy, a Market Risk Policy, an Investment Policy and Derivative Policy, which are approved by the Board. These policies ensure that operations in securities, foreign exchange and derivatives are conducted in accordance with sound and acceptable business practices and are as per the extant regulatory guidelines. The policies contain the limit structure that governs transactions in financial instruments. The policies are reviewed periodically to incorporate changed business requirements, economic environment and revised policy guidelines.

बैंक की परिसंपत्ति देयता प्रबंध समिति (एल्को) में वरिष्ठ कार्यपालक होते हैं और तुलन-पत्र जोखिमों का सुव्यवस्थित ढंग से प्रबंध करने के लिए इसकी नियमित रूप से बैठकें होती हैं. एल्को चलनिधि, ब्याज दर व विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम जैसे बाज़ार जोखिमों के प्रबंध पर विशेष ध्यान देती है. ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण बैंक की निवल ब्याज आय (एनआईआई) पर ब्याज दरों में घट-बढ़ के पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करता है.

The Asset Liability Management Committee (ALCO) comprising top executives of the Bank meet regularly to manage balance sheet risks in a coordinated manner. ALCO focuses on the management of market risks viz., liquidity, interest rate and foreign exchange risks. Interest rate sensitivity analysis measures the impact of interest rate movements on Net Interest Income (NII) of the Bank.

बाज़ार जोखिम नीति बैंक द्वारा प्रबंधित किये जाने वाले ट्रेडिंग जोखिमों की पहचान करता है. इस नीति के अंतर्गत लेखा बही में जोखिम प्रबंध के उपयुक्त स्तर के लिए आवश्यक संगठनात्मक संरचना, विभिन्न साधनों, पद्धतियों, प्रक्रियाओं आदि को भी निर्धारित किया गया है. बैंक द्वारा अपनाए जाने वाले प्रमुख जोखिम प्रबंधनों में ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का मार्क टु मार्केट (एमटीएम) प्रबंध, व्यवहार्य भावी ऋण सहायता, स्ट्रेस टेस्टिंग आदि शामिल है.

The Market Risk Policy identifies the trading risks to be managed by the Bank. It also lays down the organizational structure, tools, systems, processes, etc., necessary for appropriate levels of risk management in the trading book. The major risk management tools employed by the Bank are Marked to Market (MTM) of trading portfolio, Potential Future Exposure, stress testing etc.

निवेश एवं डेरिवेटिव नीति रिजर्व बैंक के विभिन्न परिपत्रों के आधार पर तैयार की गई है. इस नीति के अंतर्गत लिखतों में निवेश के मानदंडों के अलावा ऐसे निवेश के प्रयोजन तथा बैंक से लेन-देन के लिए पात्र ग्राहकों के बारे में मानदंड निर्धारित किए गए हैं.

The Investment and Derivative policy has been drafted keeping in view the various circulars issued by RBI. The policy lays down the parameters for investments in instruments, the purpose for such investments and the eligible customers with whom Bank can transact.

बैंक निम्न व्यापक उद्देश्यों के साथ अपनी बाज़ार जोखिम का प्रबंध करता है :

The Bank manages its market risk with the broad objectives of

1. निवेशों, विदेशी मुद्रा विनिमयों और डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में निहित ब्याज दर जोखिम, मुद्रा जोखिम व इक्विटी जोखिम का प्रबंध

   Management of interest rate risk, currency risk and equity risk arising from the investments and foreign exchange and derivatives portfolio.

2. विभिन्न पोर्टफोलियो में लेन-देनों के संबंध में उचित वर्गीकरण, मूल्यांकन व लेखांकन.

   Proper classification, valuation and accounting of the transactions in various portfolios.

3. डेरिवेटिव, निवेश और विदेशी मुद्रा विनिमय उत्पादों से संबंधित लेन-देनों की उपयुक्त व उचित रिपोर्टिंग.

   Adequate and proper reporting of the transactions related to derivative, investment and foreign exchange products.

4. बाजार से संबंधित लेन-देनों के परिचालन व निष्पादन पर प्रभावी नियंत्रण

   Effective control over the operation and execution of market related transactions.

5. विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन

   Compliance with regulatory requirements.

ट्रेज़री परिचालनों में बाजार जोखिम की पहचान करने, मूल्यांकन करने, निगरानी रखने व रिपोर्टिंग का कार्य बाजार जोखिम समूह (एमआरजी) देखता है. यह समूह बाजार जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए नीतियों व प्रक्रियाओं में संशोधन सुझाता है. इस समूह की प्रमुख रणनीतियां व प्रक्रियाएं निम्नानुसार हैं:

The Market Risk Group (MRG), is responsible for identification, assessment, monitoring and reporting of market risk in Treasury operations. The group also recommends changes in policies and methodologies for measuring market risk. The main strategies and processes of the group are

1. प्रत्यायोजनः ट्रेज़री परिचालनों के लिए अधिकारों का उपयुक्त प्रत्यायोजन किया गया है. निवेश संबंधी निर्णय बोर्ड की निवेश समिति करती है. एमआरजी विभिन्न सीमाओं की निगरानी करता है, जो नीतियों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की गई हैं.

   Delegation: Appropriate delegation of powers has been put in place for treasury operations. Investment decisions are vested with Investment Committee of the Board. MRG monitors the various limits, which have been laid down in the policies.

2. नियंत्रणः सिस्टम में पर्याप्त डाटा एकीकरण नियंत्रण हैं. इन नियंत्रणों का लेखापरीक्षा हेतु प्रयोग किया जाता है.

   Controls: The systems have adequate data integrity controls. The controls are used for audit purpose.

3. अपवर्जन संचालन प्रक्रियाः नीतियों के अंतर्गत तय की गई सीमाएं सिस्टम में शामिल कर ली गई हैं ताकि इन्हें अपवर्जन को न्यूनतम करने के लिए लागू किया जा सके. यदि कोई उल्लंघन / अपवर्जन हो, तो उसे संबंधित प्राधिकारी द्वारा तुरंत दूर किया जाता है.

   Exception handling processes: The limits set in the policies have been inserted in the system for ensuring that the same is being enforced to minimize exceptions. The limit breaches/exceptions, if any, are ratified immediately from the concerned authorities.

   एमआरजी वरिष्ठ प्रबंधन और बोर्ड की समिति के सदस्यों को फॉरेक्स, निवेश व डेरिवेटिव उत्पाद संबंधी जोखिमों के बारे में आवधिक रूप से रिपोर्ट देता है. बैंक भी विनियामकों को रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के अनुरूप रिपोर्टिंग करता है.

   The MRG periodically reports on the forex, investment and derivative product related risk measures to the senior management and the committees of the Board. The Bank also reports to regulators as per the reporting requirements.

   बैंक ने रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार विभिन्न उत्पादों के लिए अलग-अलग जोखिम मानदंड तय किए हैं. इन जोखिम मानदंडों के बारे में एमआरजी स्वतंत्र रूप से आकलन व वरिष्ठ प्रबंध को रिपोर्टिंग करता है.

   The Bank has devised various risk parameters for different products in line with the guidelines issued by RBI from time to time. These risk parameters are measured and reported to the senior management independently by MRG.

बैंक द्वारा अपनी जोखिमों पर निगरानी रखने के लिए अपनाए जाने वाले जोखिम मानदंडों में संशोधित अवधि, आधार बिंदु का मूल्य (पीवी 01), हानि-रोध, अंतर सीमा निवल आरंभिक राशि सीमा, ओपन ग्रीक आदि शामिल हैं. बैंक की जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पर जोखिम मैट्रिक्स पर सीमाएं रखी जाती हैं तथा उन पर आवधिक आधार पर निगरानी रखी जाती है.

The risk parameters adopted by the Bank for monitoring its risks are modified duration, price value of basis point (PV01), stop loss, gap limits, net open position limits, option greeks etc. Based on the risk appetite of the Bank, limits are placed on the risk metrics which are monitored on a periodic basis.

ख) बाज़ार जोखिमों के लिए पूंजी प्रभार का समूहन

b) Aggregation of capital charge for market risks

(₹ करोड़) (₹ Crore)

	जोखिम श्रेणी **Risk Category**	**पूंजी प्रभार** **Capital charge**
क **a.**	**जोखिम विशेष के कारण पूंजी प्रभार** **Capital Charge on account of specific risk**	**628.06**
i)	ब्याज दर संबंधी लिखतों पर / On interest rate related	252.54
ii)	इक्विटी पर / On equities	375.52
iii)	डेरिवेटिव पर / On derivatives	0
ख **b.**	**सामान्य बाजार जोखिम के कारण पूंजी प्रभार** **Capital charge on account of general market risk**	**569.24**
i)	ब्याज दर संबंधी लिखतों पर / On interest rate related instruments	160.03
ii)	इक्विटी पर / On equities	375.52
iii)	विदेशी मुद्रा विनिमय पर / On Foreign exchange	31.5
iv)	बहुमूल्य धातुओं पर / On precious metals	0
v)	डेरिवेटिव्स पर (एफएक्स विकल्प) / On derivatives (FX Options)	2.19
	व्यापारिक बही पर कुल पूंजी प्रभार (क + ख)	
	Total Capital Charge on Trading Book (a+b)	1,197.30
	व्यापारिक बही पर कुल जोखिम भारित परिसंपत्तियां	
	Total Risk Weighted Assets on Trading Book	**13,303.33**

डीएफ-9 : परिचालन संबंधी जोखिम :

DF-9: Operational Risk

परिचालन संबंधी जोखिम प्रत्यक्ष या परोक्ष हानि का जोखिम है, जो आंतरिक कार्यकलापों, व्यक्तियों और पद्धतियों में खामियों या असफलताओं के कारण या बाहरी घटनाओं के कारण होता है. बैंक ने अपने वरिष्ठ एवं कनिष्ठ प्रबंधन को परिचालन संबंधी जोखिम को समझने व उनका प्रबंध करने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से परिचालन जोखिम प्रबंध ढांचा तैयार किया है. बैंक ने परिचालन संबंधी जोखिम से जुड़े विभिन्न मामलों के लिए परिचालन जोखिम समूह (ओआरजी) का गठन किया है. परिचालन जोखिम विश्लेषण तथा इसकी स्थिति के संबंध में बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी) को आवधिक रूप से अवगत कराया जाता है.

Operational Risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events and is inherent in Bank's business activities. To keep a check on these risks, the Bank has developed an Operational risk management framework to support its senior and line management in better understanding and managing operational risk. The Bank has constituted an Operational Risk Group (ORG) to deal with various operational risk matters. Operational risk analysis and status are periodically presented to the Risk Management Committee (RMC) of the Board.

बैंक की एक सुपरिभाषित परिचालन जोखिम नीति है, जिसका उद्देश्य परिचालन संबंधी जोखिम की पहचान व उसका मूल्यांकन कर उसे न्यूनतम करना है. इस नीति का उद्देश्य बैंकिंग परिचालनों से संबंधित जोखिमों की पहचान कर उनका मूल्यांकन करना तथा इस पर निगरानी व न्यूनीकरण हेतु साधन, पद्धति व प्रक्रिया तैयार करना है.

The Bank has a well-defined Operational Risk Policy which aims to identify, measure and mitigate operational risks. The main objectives of the policy are identifying and assessing operational risks pertaining to banking operations and developing tools, systems and processes to monitor and mitigate these risks.

परिचालन जोखिम को समय पर ही न्यूनतम करने के लिए बैंक मुख्य जोखिम संकेतक (केआरआई) का उपयोग करता है तथा संवेदनशील पाए गए चुनिंदा कार्यों के लिए जोखिम एवं नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) संचालित करता है. केआरआई बैंक के परिचालनों के लिए मुख्य जोखिम संकेतक है तथा प्रत्येक केआरआई के लिए ट्रिगर सीमाएं तय की गई हैं. आरसीएसए एक प्रणाली है, जो बैंक को परिचालन जोखिम का आकलन व मूल्यांकन करने तथा प्रत्येक कारोबार प्रक्रिया के लिए प्रभावी नियंत्रण करने में सहायता प्रदान करती है. इससे बैंक को जोखिम स्तरों को स्पष्ट रूप से समझने में मदद मिलती है और इस प्रकार प्रभावी नियंत्रण से परिचालन जोखिम का सशक्त प्रबंधन होता है. बैंक रिज़र्व बैंक के बासेल II संबंधी दिशा-निर्देशों में परिभाषित किए अनुसार कारोबार क्षेत्रों के लिए परिचालन हानि संबंधी आँकड़े भी संग्रहित करता है.

To ensure timely mitigation of operational risk, the Bank uses Key Risk Indicators (KRIs) and conducts Risk and Control Self Assessment (RCSA) for select functions which have been identified as critical. KRIs are the prime risk indicators in the operations of the Bank and trigger limits are set for each KRI. RCSA is a methodology which helps the Bank to assess and examine the operational risks faced and the effectiveness of the controls used for each business process. It enables the Bank to have a clear understanding of the risk levels and the effectiveness of controls thus ensuring sound operational risk management. The Bank also collects Operational loss data for business lines as have been defined by RBI guidelines on Basel II.

परिचालन संबंधी जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताओं की गणना के लिए बैंक बासेल- II दिशानिर्देशों के अनुसार फिलहाल मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) अपना रहा है. उन्नत दृष्टिकोण अपनाने के लिए बैंक ने अपने सिस्टम को उन्नत किया है और एक नया परिचालन जोखिम सॉफ्टवेयर तैयार किया है, जिसमें आरसीएसए, केआरआई, हानि आँकड़ा संग्रहण और हानि आँकड़ा मॉडलिंग नामक चार मॉड्युल शामिल हैं.

The Bank currently follows the Basic Indicator Approach (BIA) as per RBI guidelines on Basel II for calculation of capital charge for operational risk. To migrate to advanced approaches the Bank has upgraded its systems and implemented a new operational risk software which comprises of four modules namely RCSA, KRI, Loss data collection and Loss data modeling.

बैंक ने कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) भी शुरू की है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई है कि कोई आपदा होने पर व्यवधान कम-से-कम रहे.

The Bank also has in place a Business Continuity Plan (BCP), which is framed to ensure customer service with minimal interruptions in the event of a disaster.

डीएफ-10: बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

DF-10: Interest Rate Risk in Banking Book (IRRBB)

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम से आशय ब्याज दर में होने वाले परिवर्तनों के कारण बैंक के अर्जन तथा परिसंपत्तियों और देयताओं के मूल्य पर पड़ने वाले संभाव्य प्रभाव से है. ब्याज दर में सामान्य परिवर्तन के अलावा विभिन्न उत्पादों / लिखतों में ब्याज दरों में घट-बढ़ (अर्थात सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिलाभ, मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दर, अग्रिमों पर उधार दर आदि) भी ब्याज दर जोखिम का प्रमुख कारण है. ब्याज दरों में परिवर्तन से निवल ब्याज आय (ब्याज आय में से ब्याज व्यय घटाकर) में घट-बढ़ के माध्यम से बैंक की अर्जन पर तथा इसके साथ ही परिसंपत्तियों व देयताओं के आर्थिक मूल्य में घट-बढ़ के माध्यम से इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर भी असर पड़ता है. अर्जन और इक्विटी के आर्थिक मूल्य में परिवर्तन का परिमाण मुख्यतः परिपक्वता के आकार तथा बैंक की परिसंपत्तियों व देयताओं के पुनर्मूल्यन असंतुलन पर निर्भर करता है.

Interest rate risk in the banking book refers to the potential impact on the Bank's earning and economic value of assets and liabilities due to adverse movement in interest rates. Besides the general change in interest rate, variation in the magnitude of interest rate change among the different products/ instruments (e.g., yield on Government securities, interest rate on term deposits, lending rate on advances etc.,) is also a significant source of interest rate risk. Changes in interest rates affect the Bank's earning through variation in its net interest income (interest income minus interest expenses) and as well as economic value of equity through net variation in economic value of assets and liabilities. The

extent of change in earning and economic value of equity primarily depends on the nature and magnitude of maturity and re-pricing mismatches between the Bank's assets and liabilities.

ब्याद दर जोखिम प्रबंध के महत्व को समझते हुए बैंक ने एक उचित परिसंपत्ति देयता प्रबंध (एएलएम) सिस्टम तैयार किया है, जिसमें बोर्ड द्वारा अनुमोदित ब्याज दर जोखिम प्रबंध नीति तथा इस सिस्टम के लिए रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रक्रिया व सीमा संरचना शामिल की गई है. ब्याज दर जोखिम प्रबंध का उद्देश जोखिम के संसाधन की पहचान कर उपयुक्त प्रणाली से उनका परिमाण मापना तथा परिपक्वता संरचना, मूल्यन, उत्पाद व ग्राहक समूह मिश्र के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित समग्र ब्याज दर जोखिम क्षमता के तहत उचित निधीयन करना, उधार देना व तुलन-पत्र से परे रणनीतियां बनाना है. बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम के लिए बैंक की गुंजाइश निवल ब्याज आय और इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर भावी प्रभाव के संबंध में विनिर्दिष्ट की गई है. परिसंपत्ति देयता संबध समिति (एल्को) जोखिम के मापन, निगरानी व ब्याज दर जोखिम प्रबंध के लिए जोखिम नियंत्रण पहल को नियमित रूप से सुनिश्चित करती है. एएलएम असंतुलन की निगरानी व इसके प्रभावी प्रबंध के लिए एल्को को रणनीति की सिफारिश करने के लिए एक पृथक तुलन-पत्र प्रबंध समूह (बीएसएमजी) बनाया गया है. दैनिक आधार पर एएलएम रिपोर्ट जरनेशन के लिए उचित सूचना प्रणाली स्थापित की गई है.

Recognising the importance of interest rate risk management, the Bank has put in place appropriate Asset Liability Management (ALM) system which includes Board approved interest rate risk management policy, procedures and limit structure in line with the RBI guidelines for ALM system. The objectives of interest rate risk management are to identify the sources of risks and measure their magnitude in terms of appropriate methods, and follow appropriate funding, lending and off-balance sheet strategies with respect to maturity structure, pricing, product and customer group mix within the overall interest rate risk exposure appetite approved by the Board. The Bank's tolerance level for interest rate risk in the banking book is specified in terms of potential impact of net interest income and economic value of equity. Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank is responsible to ensure regular measurement, monitoring and risk control initiatives for the Bank's interest rate risk management. A separate Balance Sheet Management Group (BSMG) has been created to regularly measure and monitor ALM mismatches and recommend strategies to ALCO for effective management. Adequate information system has been put in place for system based ALM report generation on a daily basis.

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिमों के मापन व निगरानी का कार्य ब्याज दर संवेदनशीलता (मूल्य का पुनर्निर्धारण) अंतर, अवधि अंतर पद्धतियों द्वारा तथा अर्जन (निवल ब्याज आय पर असर) एवं आर्थिक मूल्य परिप्रेक्ष्य (इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर असर) जैसे दोनों ही परिदृश्य आधारित विश्लेषणों के जरिए किया जाता है. ब्याज दर संवेदनशीलता अंतर रिपोर्ट की तैयार करते समय विभिन्न मूल्य-समूह की ब्याज दर जोखिम की दृष्टि से संवेदनशील परिसंपत्तियों व देयताओं को उनकी परिपक्वता की शेष रही अवधि या मूल्य पुनर्निर्धारण की अगली तारीख, जो भी पहले हो, के आधार पर रखा जाता है. इस रिपोर्ट के लिए अपनाई जानेवली धारणाओं में से सबसे प्रमुख बचत बैंक जमाराशियों को '3 माह से अधिक से 6 माह तक' के समूह में डालना तथा बीपीएलआर या आधार दर से संबंध्द अग्रिमों को '3 माह से अधिक से 6 माह तक' के समूह में डालना है, क्योंकि इन परिसंपत्तियों व देयताओं के मूल्य के पुनर्निर्धारण की कोई पूर्व-विनिर्दिष्ट तारीख़ नहीं होती. अवधि अंतर विश्लेषण ब्याज दर की दृष्टि से संवेदनशील परिसंपत्तियों व देयताओं की अवधि व भावी नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य की गणना के आधार पर किया जाता है. परिदृश्य विश्लेषण निवल ब्याज आय तथा विभिन्न ब्याज दर परिदृश्य के अंतर्गत पूंजी के आर्थिक मूल्य पर होनेवाले असर का मापन करने के लिए किया जाता है.

Measurement and monitoring of interest rate risks in the banking book are carried out through the methods of Interest Rate Sensitivity (re-pricing) gap, Duration gap and Scenario based analysis covering both earning (impact on net interest income) and economic value perspective (impact on economic value of equity). Preparation of interest rate sensitivity gap report involves bucketing of all interest rate sensitive assets and liabilities into different time buckets based on their respective remaining term to maturity or next repricing date, whichever is earlier. Major assumptions made for this report are for bucketing of saving bank deposits into 'over 3 months to 6 months' and advances linked to BPLR or Base Rate into 'over 3 months – 6 months' as these liabilities and assets do not have prior-specified re-pricing date. Duration gap analysis is done based on computation of duration and present value of future cash flows of the interest rate sensitive assets and liabilities. Scenario analysis is done to measure impact on net interest income and economic value of capital under different interest rate scenario.

एल्को अपनी मासिक बैठकों में ब्याज दर जोखिम की नियमित रूप से निगरानी करती है तथा जमाराशियों व अग्रिमों के संयोजन व वृद्धि, जमाराशियों व अग्रिमों के मूल्य-निर्धारण तथा मुद्रा बाजार परिचालन व निवेश बहियों आदि के प्रबंधन के लिए उचित कदम उठाती है / निर्देश देती है, ताकि बैंकिंग बही में आंतरिक सीमाओं के भीतर ही ब्याज दर जोखिम का प्रबंध किया जा सके. ब्याज दर जोखिम की स्थिति से नियमित रूप से बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति तथा रिज़र्व बैंक को अवगत कराया जाता है.

ALCO regularly monitors the interest rate risk exposures at its monthly meeting and takes appropriate steps/ provides directions on composition and growth of deposits and advances, pricing of deposits and advances and management of money market operations and investment books etc., to control interest rate risks of the banking book within the internal limits. Interest rate risk position is periodically reported to Risk Management Committee of the Board and also to RBI.

31 मार्च 2011 के अनुसार अर्जन में भावी गिरावट (वृद्धि) तथा ऊर्ध्वमुखी (अधोमुखी) ब्याज दर आघात के संबंध में सामान्य पद्धति से बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम का परिमाण निम्नानुसार है:

Magnitude of interest rate risks in the banking book in terms of the potential decline (increase) in earnings and economic value for upward (downward) interest rate shocks as per usual methods as on March 31, 2011 is given below:

ब्याज दर में 100 आधार बिंदुओं के समानांतर परिवर्तन का प्रभाव **Impact of parallel shift in Interest Rate by 100 basis points**	
	(₹ करोड़) (₹ Crore)
ब्याज दर परिवर्तन की तुलना में निवल ब्याज आय की संवेदनशीलता Sensitivity of Net Interest Income to Interest rate change (जोखिम पर अर्जन) (Earning at Risk)	ब्याज दर परिवर्तन की तुलना में इक्विटी के आर्थिक मूल्य (ईवीई) की संवेदनशीलता Sensitivity of Economic Value of Equity (EVE) to Interest rate change (जोखिम पर आर्थिक मूल्य) (Economic Value at Risk)
(समयावधि : 1 वर्ष) (Time Horizon: 1 year)	
एनआईआई पर प्रभाव Impact on NII	ईवीई पर प्रभाव Impact on EVE
36.80	2392.38